

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1133
दिनांक 08 दिसम्बर, 2023 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी केंद्र में रिक्त पद

***1133. श्री दुष्यंत सिंह :**

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या मंत्रालय ने आंगनवाड़ी केंद्रों(एडब्ल्यूसी) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के समक्ष आ रही समस्याओं और चुनौतियों के संबंध में कोई व्यापक अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या मंत्रालय द्वारा उक्त रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या आंगनवाड़ी केंद्रों में विभिन्न स्तरों पर पद रिक्त हैं;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ङ.) उक्त रिक्तियों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (ङ.): मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी सेवाएं एक सतत स्कीम है जिसमें स्कीम के सफल कार्यान्वयन और अंतिम लाभार्थियों तक प्रभावशाली तरीके से लाभ प्रदान करने के लिए निरंतर सुधार और पुनर्गठन किया जाता है। आंगनवाड़ी सेवाओं सहित महिला एवं बाल विकास क्षेत्र में सभी केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों का वर्ष 2020 में नीति आयोग द्वारा तीसरे पक्ष का मूल्यांकन किया गया था। मूल्यांकन में आंगनवाड़ी सेवा स्कीम की प्रासंगिकता संतोषजनक पाई गई है। 15वें वित्त आयोग में स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों के लिए पोषण संबंधी सहायता के घटक; प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा [3-6 वर्ष]; आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी सहित आंगनवाड़ी अवसंरचना को पुनर्गठित किया गया है।

आंगनवाड़ी सेवाएं एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम हैं और इस स्कीम का कार्यान्वयन राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के क्षेत्राधिकार में आता है। विभिन्न स्तरों पर रिक्त पदों को भरने से संबंधित मामले को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के साथ सतत वार्ताओं/वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से उठाया जाता है। इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से बार-बार अनुरोध किया जाता है कि वे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को ऐसी किसी भी काम में न लगाएं जो स्कीम से संबंधित नहीं है, ताकि पदधारक स्टाफ पर अनावश्यक बोझ से बचा जा सके।

आंगनवाड़ी केन्द्रों में विभिन्न स्तरों पर रिक्त पदों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक क** में दिया गया है। इसके अलावा, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने और उन्हें प्रोत्साहित करने की दृष्टि से निम्नलिखित सहित विभिन्न कदम/पहलें शुरू की गई हैं -

- (i) पदोन्नति: मंत्रालय द्वारा जारी सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के दिशानिर्देशों के अनुसार, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि की गई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के 50% पद 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त आंगनवाड़ी सहायिकाओं की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे और पर्यवेक्षकों के 50% पद अन्य मानदंडों को पूरा करने के अधीन 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे।
- (ii) सेवानिवृत्त तारीख : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं के संबंध में समान सेवानिवृत्ति दिनांक अर्थात् प्रत्येक वर्ष की 30 अप्रैल अपनाएं ताकि देय होने वाली रिक्तियों की योजना पहले से बनाई जा सके।
- (iii) शैक्षिक योग्यता: स्कीम के तहत ईसीसीई कार्यक्रम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के साथ-साथ आंगनवाड़ी सहायिकाओं, दोनों की शैक्षिक योग्यता 12 वीं कक्षा तक बढ़ा दी गई है।
- (iv) छुट्टी : आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 180 दिनों के मातृत्व अवकाश की सवेतन अनुपस्थिति, 45 दिनों के लिए एक बार गर्भपात/गर्भपात पर सवेतन अनुपस्थिति की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, 20 दिनों के वार्षिक अवकाश की अनुमति का प्रावधान भी है।
- (v) यूनिफ़ॉर्म : आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को दो **यूनिफ़ॉर्म** (प्रति वर्ष साड़ी/सूट) सेट का प्रावधान है।
- (vi) सामाजिक सुरक्षा बीमा स्कीम: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई) के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 2.00 लाख रुपये (जीवन जोखिम, किसी भी कारण से

मृत्यु को कवर करते हुए) के जीवन कवर के लिए बीमा लाभ और 18-59 वर्ष के आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 2.00 लाख रुपये (आकस्मिक मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता) /1.00 लाख रुपये (आंशिक लेकिन स्थायी विकलांगता) के दुर्घटना कवर के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ प्रदान किया गया है ।

अब यह निर्णय लिया गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को उनके बैंक खातों के माध्यम से पीएमजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत बीमा कवर प्रदान किया जाए और आंगनवाड़ी सेवा स्कीम के तहत निर्धारित लागत सहभाजन अनुपात पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए प्रीमियम भुगतान के लिए निधियां प्रदान की जाएं।

(vii) **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत बीमा कवर:** आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं, जो कोविड-19 वैश्विक महामारी से संबंधित कार्यों में लगे हुए हैं, को कुछ शर्तों के साथ "प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज" के तहत 50 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया गया है।

(viii)**प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम):** राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना, जो वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में असंगठित क्षेत्रों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, के तहत अपना नामांकन करवाने के लिए प्रोत्साहित करें।

“आंगनवाड़ी केन्द्रों में रिक्त पद” के संबंध में दिनांक 08.12.2023 को पूछे जाने वाले लोकसभा के अतारांकित प्रश्न सं 1133 के उत्तर के भाग(क) से (ड.) में उल्लिखित विवरण

अनुलग्नक क

क्रम सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रिक्त पद (एपीआईपी डेटा 2023-24 के अनुसार)	
		आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रिया (रिक्त पदों की संख्या)	आंगनवाड़ी सहायिका (रिक्त पदों की संख्या)
1	आंध्र प्रदेश	848	1561
2	बिहार	0	2634
3	छत्तीसगढ़	1698	2868
4	गोवा	45	48
5	गुजरात	1484	5123
6	हरियाणा	1211	1815
7	झारखंड	635	646
8	कर्नाटक	184	4849
9	केरल	0	0
10	मध्य प्रदेश	1414	2795
11	महाराष्ट्र	3962	16573
12	ओडिशा	721	593
13	पंजाब	1330	4874
14	राजस्थान	1314	1600
15	तमिलनाडु	8933	9665
16	तेलंगाना	1777	7038
17	उत्तर प्रदेश	25665	34835
18	पश्चिम बंगाल	15030	19972
19	दिल्ली	463	223
20	पुदुचेरी	0	0
21	हिमाचल प्रदेश	283	593
22	जम्मू और कश्मीर	2526	3261
23	उत्तराखंड	447	1252
24	अंडमान और निकोबार	0	0
25	चंडीगढ़	0	0

26	दादर एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव	0	0
27	लद्दाख	70	76
28	लक्षद्वीप	0	0
29	अरुणाचल प्रदेश	0	0
30	असम	60	60
31	मणिपुर	94	83
32	मेघालय	0	0
33	मिजोरम	0	0
34	नागालैंड	250	250
35	सिक्किम	0	0
36	त्रिपुरा	0	0
	कुल	70444	123287
